



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

**बीमित कामगार को लगातार दो हितलाभ अवधियों
में 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70
प्रतिशत की दर से**

बीमारी हितलाभ



► विशेषताएं ◀

- लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70% की दर से भुगतान
- वर्धित बीमारी हितलाभ: महिला नसबंदी के लिए 14 दिन और पुरुष नसबंदी के लिए 7 दिन तक जिसे चिकित्सा सलाह पर बढ़ाया जा सकता है, के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 100% की दर से भुगतान
- विस्तृत बीमारी हितलाभ: विनिर्दिष्ट बीमारियों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 80% की दर से दो वर्ष की अवधि के दौरान 124 दिन के लिये भुगतान जिसे चिकित्सीय सलाह पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

► हितलाभ पाने की प्रक्रिया ◀

- बीमित कामगार ईएसआईसी शाखा कार्यालय में अथवा आई पी पोर्टल www.esic.gov.in पर ऑनलाइन क्लेम जमा कर सकते हैं
- मेडिकल सर्टिफिकेट एवं बैंक अकाउंट के विवरण जरूरी



बीमारी हितलाभ की अधिक जानकारी के लिए QR Code स्कैन करें